



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032025-261754
CG-DL-E-20032025-261754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1265]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2025/फाल्गुन 28, 1946

No. 1265]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2025/PHALGUNA 28, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2025

का.आ. 1279(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 344 और 383 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
344	347बी	मध्य प्रदेश राज्य में खेड़ी के निकट रारा-47 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर आशापुर, रुधी, सुरगांव निपानी (खंडवा बाइपास), देशगांव, खरगांव, जुलवानिया (जुलवानिया से ठीकरी तक रारा-52 के साथ ओवरलैपिंग), ठीकरी, अंजाड को जोड़ने वाला और बरवानी पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

383	753एल	महाराष्ट्र राज्य में पाहुर के निकट रारा-753एफ के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जामनेर, बोदवाड़, मुक्तईनगर को जोड़ने वाला और मध्य प्रदेश राज्य में बुरहानपुर, दोलहार, छेगांव, माखन को जोड़ने वाला और देशगांव के निकट रारा-347बी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
-----	-------	---

[फा. सं. एनएच-14012/12/2024-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 5531(अ), दिनांकित 23 दिसंबर, 2024 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2025

S.O. 1279(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 344 and 383 entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
344	347B	The highway starting from its junction with NH-47 near Kheri connecting Ashapur, Rudhy, Surgaon Nipani (Khandwa Bypass), Deshgaon , Khargon, Julwania (overlapping with NH-52 from Julwania to Thikri) Thikri, Anjad and terminating at Barwani in the state of Madhya Pradesh.
383	753L	The Highway starting from its junction with NH-753F near Pahur connecting Jamner, Bodvad, Muktainagar in the state of Maharashtra connecting Burhanpur, Dolhar, Chhegaon Makhan and terminating at its junction with NH-347B near Deshgaon in the state of Madhya Pradesh.

[F. No. NH-14012/12/2024-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 5531(E), dated 23rd December, 2024.